इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 17 | अंक संख्या 2 | सितंबर, 2024 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ..................2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ...................3
विनियामक के कथन 3
आर्थिक संवेष्टन 5
नयी नियुक्तियाँ...............................5
विदेशी मुद्रा..................................6
शब्दावली....................................6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी..........6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 7
संस्थान समाचार 7
नयी पहलकदमी 8
बाजार की खबरें 8

“इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदें में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।”

मुख्य घटनाएँ

एनबीएफसी–पी2पी कर्ज़ प्लेटफार्म हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित मानदंडों की घोषणा

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-पी2पी कर्ज़ प्लेटफार्म (एनबीएफसी–पी2पी कर्ज़ प्लेटफार्म) में पारदर्शिता एवं अनुपालन को बेहतर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित मास्टर निदेश जारी किए हैं। संशोधित मानदंडों के अनुसार कोई पी2पी प्लेटफार्म, पीयर-टू-पीयर कर्ज़ को निवेश उत्पाद के रूप में प्रचारित करने से बचेगा। ये प्लेटफार्म किसी ऐसे बीमा उत्पाद को क्रास-सेल नहीं करेंगे जो ऋण वृद्धि अथवा ऋण गारंटी जैसा हो। ऋण संवितरण, ऋणदाता एवं ऋणी के बोर्ड अनुमोदित नीतियों के अनुसार मिलान/मैप किए जाने के बाद ही किया जाएगा।

फ्यूचर्स तथा आप्शंस खंड में प्रवेश हेतु शेयर के लिए कैश मार्केट में प्रदर्शन, प्रशासनिक मसले पात्रता निर्धारक होंगे

डेरिवेटिव खंड में, केवल उच्च गुणवत्ता तथा बाज़ार में पर्याप्त साख रखने वाले शेयरों का व्यापार हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस खंड में शेयरों को शामिल किए जाने हेतु पात्रता मानदंड संशोधित कर दिए हैं। शेयर का कैश मार्केट में पूर्ववर्ती छः माह में प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण संकेतक है। संशोधित मानकों के अनुसार, रोलिंग आधार पर, पूर्ववर्ती छः माह के दौरान शेयर का मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज न्यूनतम 75 लाख रुपए (वर्तमान में 25 लाख रुपए की बजाय) अवश्य होना चाहिए। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट इस समय के 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दी गई है। औसत दैनिक डिलिवरी मूल्य में अच्छी-ख़ासी वृद्धि के चलते, शेयर का औसत दैनिक डिलिवरी मूल्य 10 करोड़ रुपए से बढ़कर 35 करोड़ रुपए हो गया है। डेरिवेटिव खंड में किसी शेयर को शामिल करने की अनुमति देने से पूर्व सेबी निगरानी के मुद्दों, जारी जाँचों तथा अन्य प्रशासनिक पहलुओं जैसी अन्य बातों की पड़ताल भी करेगा।

श्रेणी I व II की वैकल्पिक निवेश निधियों हेतु बाज़ार से कर्ज़ लेने के मानदंडों में सेबी द्वारा संशोधन

श्रेणी I व II की वैकल्पिक निवेश निधियों द्वारा बाज़ार से कर्ज़ लेने तथा मान्यताप्राप्त निवेशकों हेतु वृहद मूल्य निधि (Large Value Fund aka LVF) की अवधि के विस्तार हेतु अधिकतम अनुमत सीमा के लिए दिशानिर्देशों में सेबी द्वारा संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के अनुसार, श्रेणी I व II की वैकल्पिक निवेश निधियों को निवेशों के लिए कर्ज़ लेने या लीवरेज का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। अपवाद केवल सीमित मामलों में अस्थायी निधि आवश्यकताओं की पूर्ति, या दैनिक परिचालन व्ययों के प्रबंधन करने के लिए ही होगा। तथापि, ये अपवाद भी कतिपय प्रतिबंधों के अधीन होंगे। इस तरह के कर्ज़ की अनुमति अधिकतम 30 दिनों के लिए होगी, यह एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम चार बार हो सकेगा, तथा यह निवेश योग्य निधियों के 10% से अधिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

म्यूचुअल फंडों द्वारा एटी-1 बांड के यील्ड-टू-कॉल आधार पर मूल्य निर्धारण की सेबी द्वारा अनुमति

मूल्य निर्धारण पद्धति के लिए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की सिफ़ारिशों के अनुरूप, सेबी ने तय किया है कि म्यूचुअल फंडों द्वारा अतिरिक्त टियर 1 बांडों का मूल्य निर्धारण यील्ड-टू-कॉल पर आधारित होगा जो इंड एएस 113 के तहत बाजार आधारित मापन के सिद्धांतों के अनुसार होगा। यह इंड एएस 113 के अधीन एटी-1 बांडों मात्र पर लागू है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

कार्यवाही में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी बैंकों हेतु बीडीडीआर (Bad and Doubtful Debt Reserve) में व्यापक बदलाव

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण रिजर्व हेतु कार्यवाही में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित अनुदेश जारी किए हैं जो वित्तवर्ष 2024-25 से लागू होंगे। ये सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा केंद्रीय सहकारी

बैंकों पर प्रभावी होंगे। किए गए संशोधनों के अनुसार: आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण व प्रावधान करने के मानदंडों के अनुसार सभी प्रावधान (चाहे इन्हें खाते में 'बीडीडीआर' शीर्ष या किसी अन्य खाता शीर्ष में रखा गया हो) संबन्धित लेखा अवधि में लाभहानि खाते में यथा व्यय प्रभारित किए जाएंगे। बैंक, आईआरएसीपी मानदंडों तथा अन्य मौजूदा विनियमों के अनुसार सभी प्रावधानों को लाभहानि खाते में प्रभारित करने के उपरांत, बचे शुद्ध लाभ का विनियोजन बीडीडीआर हेतु कर सकेंगे।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

आईएफएससी में विदेशी निवेशकों को सावरेन ग्रीन बांड में निवेश करने की अनुमति: व्यापक भागीदारी हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दायरे का विस्तार

सावरेन ग्रीन बांड में अनिवासी भारतीयों की व्यापक भागीदारी हो, इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक योजना शुरू की है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थित विदेशी निवेशकों को इन लिखतों में निवेश की अनुमति दी गई है। इस समय सेबी में पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश हेतु उपलब्ध विभिन्न माध्यमों के तहत निवेश कर सकते हैं। इस योजना हेतु पात्र निवेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाने वाली प्रतिभूतियों की नीलामी में भाग ले सकते हैं तथा आईएफएससी में प्रतिभूतियों हेतु द्वितीयक बाजार में संव्यवहार कर सकते हैं। पात्र आईएफएससी बैंकिंग यूनिट योजना के अंतर्गत प्राथमिक नीलामी में भाग नहीं ले सकती किन्तु द्वितीयक बाजार में संव्यवहार कर कर सकती है। निवेशकों का केवाईसी सत्यापन अथवा समुचित सावधानी कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार होगा।

जनता से जमाराशियाँ एकत्र करने वाली आवास वित्त कंपनियों (Housing Finance Companies) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी जितनी विनियामक सख्ती होगी

जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने की पात्रता हेतु आवास वित्त कंपनियों को वर्ष में कम से कम एक बार न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग हासिल करनी होगी। एचएफसी द्वारा धारित जमाराशि की उच्चतम सीमा निवल स्वाधिकृत निधि के 3 गुने से घटा कर 1.5 गुना कर दी गई है। एचएफसी द्वारा स्वीकार या नवीकृत जमाराशियाँ, बारह माह या अधिक, अधिकतम 60 महीनों (इस समय के 120 महीनों की बजाय) तक चुकौती योग्य होंगी। एचएफसी 60 माह से अधिक की परिपक्वता वाली मौजदा जमाराशियाँ, उनकी मौजूदा चुकौती प्रोफाइल के अनुसार अदा कर सकते हैं। एचएफसी को उनके द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि की निरंतर आधार पर 15% तक (13% की बजाय) तरल आस्तियां, चरणबद्ध तरीके से रखनी चाहिए- 1 जनवरी 2025 तक 14% एवं 1 जुलाई 2025 तक 15%। एनबीएफसी की भांति एचएफसी को भी उनके परिचालनों से उत्पन्न जोखिमों से बचाव करने तथा सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने की स्वतंत्रता दी गई है।

आवास वित्त कंपनियों के जोखिम भार की समीक्षा

आवास ऋणों/अन्य ऋणों की असंवितरित राशि हेतु जोखिम भारित आस्तियों की गणना में मिलते-जुलते एक्सपोजर की समतुल्य संवितरित राशि की गणना के समक्ष संभावित विसंगति के समाधान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने तय किया है कि आवास ऋणों/अन्य ऋणों की असंवितरित राशि हेतु परिकलित जोखिम भारित आस्तियों की मिलते-जुलते एक्सपोजर की समतुल्य राशि हेतु कल्पित आधार पर परिकलित जोखिम भारित आस्ति तक उच्चतम सीमा रखी जाएगी। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मानक तथा अन्य वाणिज्यिक रियल एस्टेट – आवासीय भवनों हेतु जोखिम भार अलग-अलग कर दिए हैं। यथा मानक वर्गीकृत वाणिज्यिक रियल एस्टेट – आवासीय भवनों हेतु जोखिम भार 75% बना रहेगा जबकि जो यथा मानक नहीं वर्गीकृत हैं, के लिए यह 100% होगा।

विनियामक के कथन

भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा वर्णित पाँच रणनीतियाँ

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2024 में व्याख्यान देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने पाँच रणनीतिक प्राथमिकताएँ बताईं जो भारत के वित्तीय परिदृश्य में बड़े बदलाव की सूत्र हैं। इनमें निम्न शामिल हैं:

प्राथमिकता 1: डिजिटल वित्तीय समावेशन

प्राथमिकता 2: डिजिटल जन अवसंरचना (डीपीआई)

प्राथमिकता 3: उपभोक्ता संरक्षण एवं साइबर सुरक्षा

प्राथमिकता 4: संधारणीय वित्त, और

प्राथमिकता 5: वैश्विक समेकन एवं सहयोग

श्री दास ने कृत्रिम मेधा को सावधानीपूर्वक एवं संभल-संभल कर, इसमें निहित जोखिमों तथा इसके द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं दोनों को समझ कर अपनाने हेतु आगाह किया। देश की वित्तीय अवसंरचना सुदृढ़ करने हेतु अधिक नवोन्मेष की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने वित्तीय क्षेत्र हेतु अवसरों का अगला मोर्चा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) को बताया। सुदृढ़ एवं आघात सह्य वित्तीय प्रणाली के आवश्यक घटकों पर ध्यान देते हुए भविष्य हेतु गवर्नर महोदय के विजन में प्रौद्योगिकी की ताकत का लाभ उठाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने हेतु नवोन्मेष को बढ़ावा देना शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के अनुसार एकीकृत कर्ज इंटरफेस परीक्षण के चरण में

आरबीआई@90 पहल के अंग के रूप में, डिजिटल पब्लिक अवसंरचना तथा उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन में बीज वक्तव्य देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने बताया कि शीर्ष बैंक का एकीकृत कर्ज इंटरफेस (ULI) अभी परीक्षण के चरण में है और शीघ्र ही देश भर में शुरू किया जाएगा। प्लेटफार्म का उद्देश्य सरलीकृत तकनीकी समेकनों के जरिए आसानी से ऋण प्रदान करना तथा मूल्यांकन में लिए जाने वाले समय, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे ऋणियों हेतु इस समय को कम करना है। डिजिटल पब्लिक अवसंरचना के मूल विषय पर बोलते हुए श्री दास ने कहा कि भारत की डिजिटल अवसंरचना यात्रा में JAM-UPI-ULI की नयी तिकड़ी आगे एक क्रांतिकारी कदम होगी। उन्होंने आगे कहा कि यूपीआई अब मजबूत, किफ़ायती एवं पोर्टेबल खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में उभरा है जिस पर विश्व की निगाहें टिकी हैं। इसमें सीमा–पार भुगतानों के उपलब्ध माध्यमों का सस्ता व तीव्रतर विकल्प बनने की संभावना मौजूद है। ये सभी डिजिटल मानचित्र पर भारत के वैश्विक नेता बनने की उम्मीद दर्शाते हैं।

डिजिटल वित्तीय नवोन्मेषों से जुड़ी चुनौतियों का भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल देबब्रत पात्रा द्वारा वर्णन

इंटरनेशनल असोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स–एशिया पैसिफिक रीज़नल कमिटी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल देबब्रत पात्रा ने कहा कि वित्तीय सेवाओं के डिजिटल होने से जमाराशि बीमाकर्ताओं को उनके अधिदेशों को अधिक दक्ष व कारगर तरीके से पूरा करने में मदद मिली है तथा प्रतिपूर्ति, पर्यवेक्षण, समाधान एवं संचार का आधुनिकीकरण हुआ है। मुद्रा तथा भुगतान प्रणालियों में डिजिटल नवोन्मेष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं क्योंकि इन दोनों का असर जमाराशि बीमा पर होता है। उप गवर्नर ने चेताया कि केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा को 'निरापद साधन' के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इस प्रकार बैंक जमाराशियाँ विशेषकर अबीमित जमाराशियाँ संकट के समय अचानक निकासी हेतु अधिक प्रवण हैं। उन्होंने ब्लॉकचेन तथा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक के बढ़ते उपयोग की भी चर्चा की जिससे सुरक्षित ब्लॉकचेन पर रखी पारंपरिक बैंक जमाराशियों या टोकनाइज्ड जमाराशियों का ट्रैक्शन हो सकता है। टोकनाइजेशन के साथ विनियामक एवं वित्तीय स्थिरता के मुद्दे जुड़े हैं। इनमें संकट के समय बैंकों से धड़ाधड़ आहरण बढ़ जाने की संभावना; टोकनाइज्ड जमाराशियों को विभिन्न उद्देश्यों हेतु पारंपरिक जमाराशियाँ माने जाने हेतु विधिक अवसंरचना शामिल है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने हेतु एमएसएमई (MSME) क्षेत्र के पास नवोन्मेषी समाधान एवं कस्टमाइज्ड सेवाएँ होना आवश्यक: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे

फारेन एक्सचेंज डीलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक दिवस पर बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने एमएसमई के महत्व तथा इस क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों की विस्तार से चर्चा की। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने तथा विकास, नवोन्मेष एवं रोजगार का वाहक होने के लिए एमएसमई की प्रशंसा करते हुए उप गवर्नर ने कहा कि एमएसमई को ऋण देना मात्र काफी नहीं है। एमएसमई उद्यम सच में फले-फूलें और बढ़ें, इस हेतु वित्तीय क्षेत्र को नवोन्मेषी समाधान, संवेदनशीलता तथा अग्रदर्शी दृष्टिकोण पेश करना चाहिए। ऐसा मुकम्मल सहयोग एमएसमई क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सामना करने, निर्यात

बढ़ाने एवं 2047 तक राष्ट्र के विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में योगदान करने हेतु सशक्त करेगा। एमएसमई को वित्तपोषण में नवोन्मेष को बढ़ावा देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों का उल्लेख करते हुए श्री स्वामीनाथन जे ने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक विनियामक सैंडबाक्स का तीसरा अभियान एमएसमई को कर्ज देने पर केंद्रित था जिसमें पाँच विचारों को व्यवहार्य पाया गया।

जमाराशि बीमा कवर सीमा में आवधिक संशोधन हो: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव

इंटरनेशनल असोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स–एशिया पैसिफिक रीज़नल कमिटी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने कहा कि विभिन्न कारणों नामत: बैंक जमाराशियों के मूल्य में वृद्धि, आर्थिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति तथा आय स्तरों के बढ़ने को ध्यान में रखते हुए जमाराशि बीमा कवर सीमा को बढ़ाना आवश्यक हो सकता है। डिजिटल उत्पादों की बढ़ती व्यापकता के चलते, ऐसे डिजिटल जमाराशि जैसे उत्पादों का कवरेज, जमाराशि बीमाकर्ताओं हेतु एक विकल्प के रूप में सोचा जा सकता है। श्री राव ने आगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों में तेज वृद्धि का जिक्र किया। इस पृष्ठभूमि में, जोखिमों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना तथा ऐसे जोखिमों से निपटने हेतु व्यापक नीति तैयार करना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। उप गवर्नर ने ऐसी प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो एक बैंक के परिसमापन की स्थिति में जमाकर्ताओं को उनकी बीमाकृत जमाराशियाँ शीघ्र दिला दे। ऐसे संकट के दौरान, पात्र जमाकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने में देरी, बैंक के पास पूर्ण जानकारी की अनुपलब्धता और/या इन जमाकर्ताओं (विशेषकर लघु सहकारी बैंकों के मामले में) के वैकल्पिक खातों की अनुपलब्धता के कारण दावों का समय पर निपटान चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा, जुलाई 2024 की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण जुलाई 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 3.5% हो गई जो सितंबर 2019 के बाद सबसे कम है।
- पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) मैन्युफैक्चरिंग जुलाई 2024 में 58.1 रहा।
- अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के विस्तार, नए ऑर्डर मिलने में बढ़ोत्तरी तथा नए निर्यात ऑर्डर में वृद्धि के चलते पीएमआई सेवाएँ जुलाई 2024 में बढ़त के दायरे में 60.3 पर रहीं।
- पूर्ववर्ती वर्ष की पहली तिमाही के 4.7% की तुलना में, वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में वर्षानुसार 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें सबसे मजबूत वृद्धि प्राथमिक वस्तुओं, माध्यमिक वस्तुओं तथा कंज़्यूमर ड्यूरेबल के उत्पादन में देखी गई।
- पूंजीगत व्यय का बजट 17.1% बढ़कर ₹11.1 करोड़ रखा गया है।
- वित्तवर्ष 25 के प्रथम चार महीनों (अप्रैल 2025 से जुलाई 2025) में भारत का सेवाओं का निर्यात 9.9% बढ़ा।
- वित्तवर्ष 25 की पहली तिमाही के दौरान निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में 42.7% की वृद्धि के चलते एफडीआई मिलने में वित्त वर्ष 25 में उछाल आया।
- कुल सकल जीएसटी में वर्षानुवर्ष 10.3% की वृद्धि हुई जिससे वित्तवर्ष 24 (अप्रैल से जुलाई) हेतु योग ₹7.4 लाख करोड़ हो गया।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	30 अगस्त 2024 के दिन करोड रुपए	30 अगस्त 2024 के दिन मिलियन अमरीकी डालर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डालर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5736861	683987	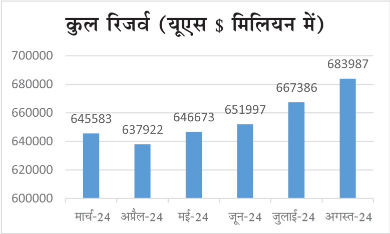
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5024359	599037	
1.2 सोना	518835	61859	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	154901	18468	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	38766	4622	नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 30 अगस्त 2024 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें – सितंबर 2024 माह हेतु लागू

मुद्रा	दर
अमरीकी डॉलर	5.35
जीबीपी	4.95
यूरो	3.666
जापानी येन	0.227
कनाडाई डॉलर	4.5300
आस्ट्रेलियाई डॉलर	4.35
स्विस फ्रैंक	1.209164

मुद्रा	दर
न्यूजीलैंड डॉलर	5.25
स्वीडिस क्रोन	3.390
सिंगापुर डॉलर	3.3159
हांगकांग डॉलर	2.92923
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	3.2650

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

एकीकृत कर्ज इंटरफेस (Unified Lending Interface)

यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया डिजिटल प्लेटफार्म है जो सरल तरीके से निर्धारित ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राहक के वित्तीय तथा गैर वित्तीय आंकड़े एक स्थान पर उपलब्ध कराता है। एकीकृत कर्ज इंटरफेस अवसंरचना विविध स्रोतों से जानकारी तक डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 'प्लग व प्ले' दृष्टिकोण हेतु निर्मित है। यह ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी ला सकता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

फिंटरनेट

'फिंटरनेट' पद का संदर्भ एक दूसरे से अंतर्संबद्ध अनेक वित्तीय इकोसिस्टम से है। यह वैश्विक वित्त के प्रति उभरता दृष्टिकोण है जो तीन U अर्थात यूजर (User) सेंटर, यूनिफ़ाइड (Unified) तथा यूनिवर्सल (Universal)-अर्थात उपयोगकर्ता को केंद्र में रखने के द्वारा परिभाषित है, इसे सार्वभौमिक तथा सभी प्रकार की अस्ति श्रेणियों पर लागू होना है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

सितंबर 2024 माह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
निवारक सतर्कता व धोखाधड़ी प्रबंधन पर कार्यक्रम	10 - 12 सितंबर 2024	प्रौद्योगिकी पर आधारित
बैंकों व वित्तीय संस्थानों के आंतरिक लेखापरीक्षकों हेतु कार्यक्रम	11 - 12 सितंबर 2024	
तुलन पत्र अध्ययन व अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	17 - 19 सितंबर 2024	
सार्वजनिक व निजी क्षेत्र बैंकों व वित्तीय संस्थानों के विधि तथा वसूली अधिकारियों हेतु कार्यक्रम	18 - 21 सितंबर 2024	
शाखा प्रबंधकों हेतु नेतृत्व तथा सॉफ्ट स्किल विकास पर कार्यक्रम	19 - 21 सितंबर 2024	लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर, कुर्ला (प) मुंबई
खुदरा बैंकिंग के कारगर विपणन पर कार्यक्रम	20 - 21 सितंबर 2024	आईआईबीएफ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, दक्षिण अंचल, चेन्नई
आईटी सुरक्षा तथा साइबर अपराध रोकने पर कार्यक्रम	23 - 24 सितंबर 2024	प्रौद्योगिकी पर आधारित
एमएसएमई ऋण मूल्यांकन व वित्तपोषण पर कार्यक्रम	23 - 25 सितंबर 2024	
विदेशी मुद्रा परिचालनों पर कार्यक्रम	24 - 26 सितंबर 2024	
बैंकों के आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारियों हेतु कार्यक्रम	26 - 27 सितंबर 2024	

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ की लीडर्स स्पीक शृंखला

साउथ इंडियन बैंक के स्वतंत्र निदेशक तथा केनरा बैंक व विजया बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ श्री आर ए शंकर नारायणन ने आईआईबीएफ की लीडर्स स्पीक शृंखला में "भारत में बैंकिंग का विकास – विगत वर्षों में इसमें बदलावों पर एक नज़र" पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

आईआईबीएफ और इग्नू- जेएआईआईबी/सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए क्रेडिट अंतरण योजना हेतु समझौता

2023 के संशोधित पाठ्यक्रम के तहत जेएआईआईबी/सीएआईआईबी योग्यता हासिल करने वाले आईआईबीएफ के सदस्यों को एमबीए (बैंकिंग व वित्त) में प्रवेश देने के लिए आईआईबीएफ और इग्नू ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एमबीए (बैंकिंग व वित्त) की अधिकतम अवधि के भीतर, आईआईबीएफ से जेएआईआईबी/सीएआईआईबी के संगत विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इग्नू, एमबीए (बैंकिंग व वित्त) के 28 कोर्सों में अधिकतम 5 कोर्सों तक की छूट/20 क्रेडिट का ट्रांसफर देगा। अधिक विवरण निम्न लिंक पर है http://www.ignou.ac.in/ignou/aboutignou/school/soms/credittransfer

प्रमाणित वित्तीय आयोजक प्रमाणन कार्यक्रम हेतु आईआईबीएफ का एफपीएसबी के साथ समझौता

संस्थान ने वित्तीय आयोजना पेशे हेतु वैश्विक मानक निर्धारक निकाय की भारतीय अनुषंगी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय आयोजक (सीएफपी) प्रमाणन कार्यक्रम की स्वामी एफपीएसबी इंडिया के साथ कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण भागीदारी के तहत, आईआईबीएफ से सीएआईआईबी योग्यता पूरी कर चुके तथा बीएसएफआई क्षेत्र में तीन वर्षों का मान्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीएफपी प्रमाणन के प्रथम तीन मॉड्यूल उत्तीर्ण करने से छूट होगी तथा वे फास्ट ट्रैक राह से एफपीएसबी इंडिया के समन्वित वित्तीय आयोजना मॉड्यूल में सीधे नामांकन करा सकेंगे। अधिक जानकारी iibf.org.in पर मौजूद है।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व बैंकिंग में उभरती प्रवृत्तियाँ" रखा गया है।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण सूचनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान की प्रथा रही है कि विनियामक (कों) द्वारा जारी हाल के परिवर्तनों/दिशानिर्देशों संबंधी प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से वास्तविक परीक्षा तिथियों तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि संस्थान द्वारा सितंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 30 जून 2024 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

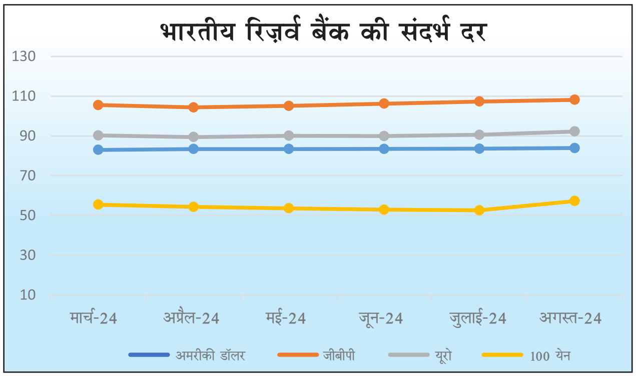

स्रोत: एफबीआईएल

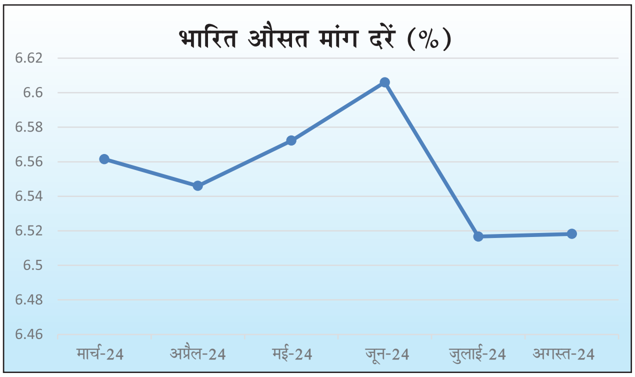

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूज़लेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

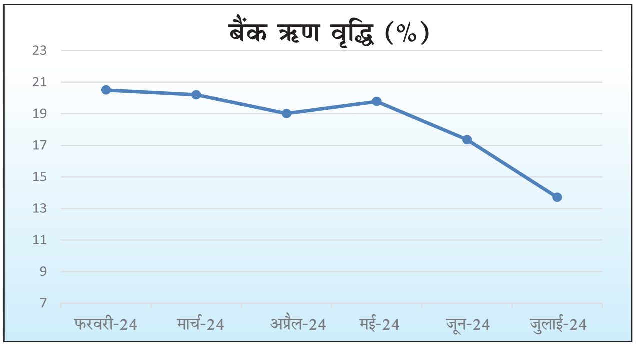

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

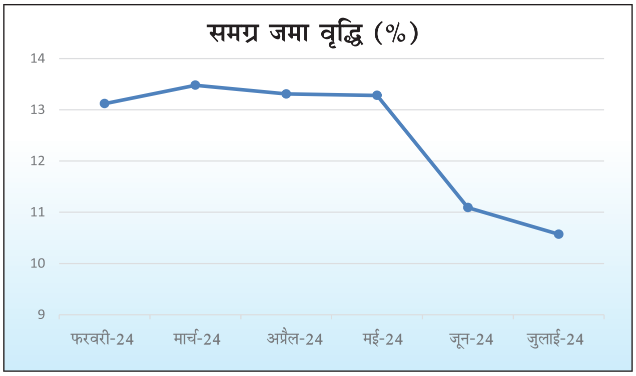

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त, 2024

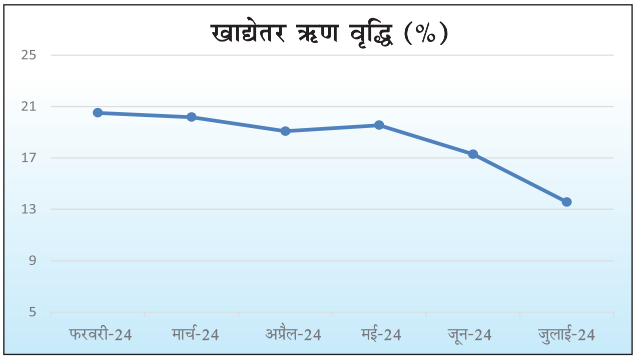

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त 24

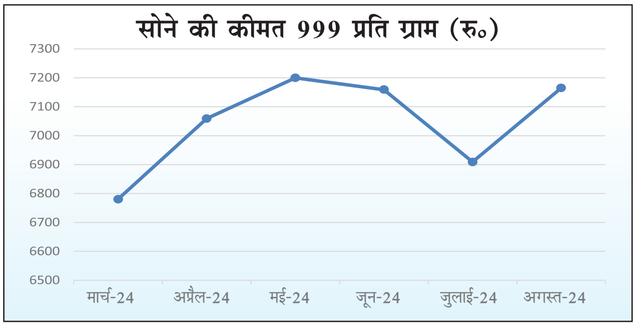

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

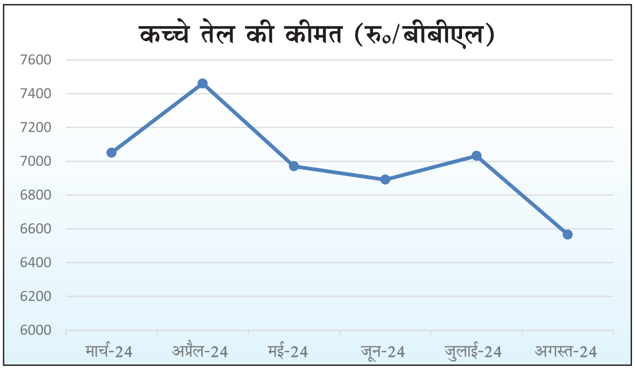

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

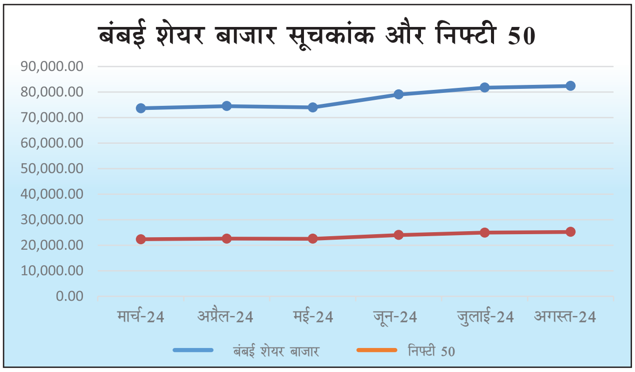

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in